



Neutral Citation No. - 2026:AHC:26459

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

क्रिमिनल मिस्ले. एंटीसिपेटरी बेल अप्लीकेशन अन्तर्गत धारा 482 बी.एन.एस.एस.

सं. - - 1116 वर्ष 2026

शबनम

.....आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....प्रतिपक्षी(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता : मोहम्मद इमरान खान

प्रतिपक्षी(गण) के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय सं. - 65

माननीय न्यायमूर्ति डॉ. गौतम चौधरी

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री चंदन सिंह तथा राज्य के विद्वान ए.जी.ए. को सुना और रिकॉर्ड का अवलोकन किया।

2. यह आवेदन शबनम की ओर से मुकदमा अपराध सं. 300 सन् 2023, अन्तर्गत धारा 420, 467, 468, 471 भा.दं.सं., पुलिस थाना कोसी कलां, जिला मथुरा में अग्रिम जमानत की मांग करते हुए दायर किया गया है, जिसमें यह प्रार्थना की गई है कि गिरफ्तारी की स्थिति में आवेदक को जमानत पर रिहा कर दिया जाए।

3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि आवेदक को इस मामले में झूठा फंसाया गया है। आवेदक पर लगाए गए आरोप झूठे हैं। आगे यह भी बताया गया है कि आवेदक को नौकरी का प्रस्ताव वर्ष 2006 में दिया गया था, जबकि एफआईआर वर्ष 2023 में दर्ज की गई थी। यह भी बताया गया है कि संबंधित विभाग को जाली स्थानांतरण प्रमाण पत्र के संबंध में कोई अनियमितता या धोखाधड़ी नहीं मिली और एफआईआर एक निजी सूचनादाता द्वारा दर्ज कराई गई थी। आगे यह भी बताया गया है कि वास्तव में आवेदक ने आशा कार्यकर्ता के पद से इस्तीफा दे दिया है और वह अब कार्यरत नहीं है। विद्वान अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया कि

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



सूचनादाता एक निजी व्यक्ति है और उसे एफआईआर दर्ज कराने का कोई अधिकार नहीं है, लेकिन ग्राम की पार्टीबंदी के कारण आवेदक को इस मामले में झूठा फंसाया गया है। विद्वान अधिवक्ता ने कहा कि आवेदक द्वारा कोई जालसाजी या धोखाधड़ी नहीं की गई है। उन्होंने आगे बताया कि इससे पहले आवेदक ने धारा 438 दं.प्र.सं. के तहत आपराधिक विविध अग्रिम जमानत आवेदन सं. 10598 सन् 2023 दायर किया था, जिसमें आवेदक ने दिनांक 27.09.2023 के आदेश के माध्यम से अंतरिम अग्रिम जमानत का अनुरोध किया था, हालांकि इसे अनुपस्थिति के कारण खारिज कर दिया गया था। आवेदक ने आगे बताया कि इस बीच दिनांक 09.04.2024 को आरोपपत्र दाखिल कर दिया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि आवेदक ने अंतरिम जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं किया और जांच में सहयोग किया। विद्वान अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया कि विवेचनाधिकारी ने उचित जांच किए बिना ही आवेदक के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल कर दिया है, जबकि कथित अपराध में आवेदक की संलिप्तता सिद्ध नहीं हुई है। यह भी बताया गया है कि आवेदक मुकदमे के दौरान सहयोग करने का वचन देता है और जांच एजेंसी या न्यायालय द्वारा आवश्यकता पड़ने पर उपस्थित होगा। यह कहा गया है कि यदि आवेदक को अग्रिम जमानत दी जाती है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा और जांच में सहयोग करेगा तथा जमानत की सभी शर्तों का पालन करेगा।

4. विद्वान ए.जी.ए. ने अग्रिम जमानत के आवेदन का विरोध किया है। विद्वान ए.जी.ए. ने आगे तर्क दिया कि जांच के दौरान विश्वसनीय साक्ष्य एकत्र किए गए हैं, जिसके परिणामस्वरूप आरोपपत्र प्रस्तुत किया गया है।

5. आरोपपत्र के अवलोकन से पता चलता है कि विवेचनाधिकारी ने जांच के दौरान आवेदक के विरुद्ध विश्वसनीय साक्ष्य एकत्र किए थे, जो मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्यों से समर्थित हैं, और पाया कि अपराध करने में आवेदक की संलिप्तता सिद्ध होती है। इसके अतिरिक्त, **सिद्धाराम सतलिंगप्पा म्हेत्रे बनाम महाराष्ट्र राज्य, (2011) 1 एससीसी 694** के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह धारित किया है कि अग्रिम जमानत पर निर्णय करते समय, न्यायालय को आरोप की प्रकृति और गंभीरता, आरोपी का पूर्ववृत्त, आरोपी के न्याय से भागने की संभावना पर विचार करना चाहिए और आरोपी के विरुद्ध उपलब्ध सभी सामग्री का सावधानीपूर्वक मूल्यांकन करना चाहिए तथा आरोपी की सटीक भूमिका को भी ध्यान में रखना चाहिए।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



6. इस मामले में, अग्रिम जमानत के संबंध में स्थापित कानूनी सिद्धांत, पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं की दलीलें, आरोप की प्रकृति, आवेदक की भूमिका और मामले के सभी तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, मामले की मेरिट पर कोई राय व्यक्त किए बिना, अग्रिम जमानत का कोई मामला नहीं बनता है।

7. अग्रिम जमानत आवेदन खारिज किया जाता है।

(न्यायमूर्ति डॉ. गौतम चौधरी)

4 फरवरी, 2026

एस.अली

Translated Version. Not For Legal Use

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।